6

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर

5405 / 16/07/03

क्रमांक – /त.शा./प्र.अ./लो.स्वा.या./ 2003 रायपुर दिनांक 15-7-2003

प्रति,

1. समस्त अधीक्षण यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग
रायपुर मंडल रायपुर

2. समस्त कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग
--------खंड--------

विषय:- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली नगरीय जलप्रदाय योजनाओं में गुणात्मक सुधार लाए जाने बावत् ।

प्रदेश की समस्त नगरीय जलप्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग द्वारा कराये जाने बाबत् शासन ने निर्णय लिया है। इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में निम्न निर्देश है ।

1. योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हो इस हेतु आवश्यक है कि विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही है या भविष्य में क्रियान्वियन की जाने वाली नगरीय जलप्रदाय योजनाओं की गुणवता में सुधार किया जावे।

2. इन योजनाओं में उपयोग किए जाने वाले पाईप की गुणवत्ता में भी सुधार लाया जावे, जिससे जलप्रदाय योजनाये पूर्ण होने के 4–5 वर्षो में ही पाईप फट जाने आदि के कारण योजनाओं के अनुपयोगी हो जाने से बचा जा सके।

3. विभाग द्वारा पाईप की खरीदी आवश्यकतानुसार ही की जाए, आवश्यकता से अधिक पाईप क्रय न किए जाए। ए.सी. या अन्य सीमेन्ट पाईप के स्थान पर जी.आई / सी.आई/ डी.आई पाईप का उपयोग किये जाने के संबंध में परीक्षण कर पाईप का प्रकार निर्धारित किया जावे ।

4. इसी प्रकार नगरीय जलप्रदाय योजनाओ के निर्माण के पश्चात कुछ वर्ष तक उनका संधारण भी विभाग विभाग करे ताकि योजनाओं के पूर्ण होने के तत्काल पश्चात जो तकनीकी या अन्य खराबी सामने आती है। उनका सुधार विभाग द्वारा ठीक प्रकार से किया जा सके। नगरीय निकायो द्वारा इन योजनाओं को पूर्ण होने के कम से कम 3 वर्ष बाद ही हस्तांतरित किया जाए। ऐसे संधारण हेतु योजना प्रस्ताव में आवश्यक प्रावधान अवश्य करें।

Three years O & M expense should be included as well

S.B.

उपरोक्त निर्देशों के परीप्रेक्ष्य में परीक्षण कर अपने प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत करे तथा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करे।

प्रमुख अभियंता

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग

छत्तीसगढ़ रायपुर

पृ.क्रमांक – 7012 /त.शा./प्र.अ./लो.स्वा.या./ 2003 रायपुर दिनांक 14-7-2003

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग मंत्रालय को उसने ज्ञाप क्रमांक 1453 दिनांक 05.07.2003 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

2. सचिव छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक सहमति हेतु प्रेषित। दिनांक 25.06.2003 को मंत्रि परिषद में संपन्न चर्चा बाबत् मुख्य सचिव [illegible] संलग्न प्रेषित है।

3. संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छत्तीसगढ़ रायपुर को सूचनार्थ, एवं उपरोक्त निर्देशों के संबंध में आवश्यक अभिमत एवं सहमति से अवगत कराये।

संलग्न :– क्रमांक –2 एवं 3 को उपरोक्तानुसार

प्रमुख अभियंता

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग

छत्तीसगढ़ रायपुर